राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज
(आयुक्तालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर)

क्रमांक : एफ.13(डब्ल्यूडीटी)आईडब्ल्यूएमपी/निजभूस/2016/12058-12606 दिनांक : 6/10/16

-: परिपत्र :- 12505-12606

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (आईडब्ल्यूएमपी) अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं में कुछ परियोजना कियान्वयन एजेन्सी द्वारा अनावश्यक रूप से जलग्रहण विकास दल सदस्यों को हटाने/सेवाएं स्थगित करने के आदेश जारी किये जा रहे है, जिसके फलस्वरूप जलग्रहण विकास दल सदस्य माननीय न्यायालय में जा रहे हैं।

उक्त क्रम में आयुक्तालय के आदेश क्रमांक 4814–4859 दिनांक 29.03.2016 के द्वारा जलग्रहण विकास दल सदस्यों का परिमेयकरण के आदेश जारी कर, जलग्रहण विकास दल सदस्यों का नियोजन करने हेतु, आयुक्तालय के आदेश क्रमांक 6091–6124 दिनांक 21.04.2016 द्वारा परियोजना प्रबन्धक की अध्यक्षता में अधिशाषी अभियन्ता एवं संबंधित पीआईए की एक कमेटी का गठन कर मैरिट के आधार पर पूर्व नियोजित जलग्रहण विकास दल सदस्यों में से ही चयन करने हेतु मार्गदर्शन प्रदान किया गया था। साथ ही परियोजना कियान्वयन एजेन्सी स्तर पर जलग्रहण विकास दल सदस्य पर्याप्त नहीं होने पर उन्हें जिले के अन्य ब्लॉक के अधिशेष जलग्रहण विकास दल सदस्यों को गुणावगुण की प्राथमिकता के आधार पर नियोजित करने हेतु भी निर्देश प्रदान किये गये थे।

आयुक्तालय के पत्रांक एफ.13(1)डब्ल्यूडीटी/डब्ल्यूडीएससी/2016–17/11142–11174 दिनांक 09.09.2016 द्वारा निर्देशित किया गया था कि मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान में चयनित आई.डब्ल्यू.एम.पी. परियोजनाओं में ही जलग्रहण विकास दल सदस्यों का नियोजन किया जावे तथा अन्य परियोजनाओं में जलग्रहण विकास दल सदस्यों की सेवाएं स्थगित रखी जावे। इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि आई.डब्ल्यू.एम.पी. योजनान्तर्गत वर्ष 2009–10 से 2013–14 अर्थात बैच–I से V तक की कोई भी परियोजना स्वीकृत हो, उन समस्त ब्लॉक में पीआईए स्तर पर एक जलग्रहण विकास दल सदस्य का नियोजन किया जावे, ताकि ऐसी आई.डब्ल्यू.एम.पी. परियोजनाएं जो कि मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान में चयनित नहीं है उनमें भी आधारभूत कार्य जैसे डीपीआर तैयार करना, प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्द्धन, प्रवेश बिन्दु गतिविधि, आजीविकोपार्जन, कृषि एवं पशुपालन गतिविधियां एवं समेकन चरण की गतिविधियों का भी आवश्यकतानुसार सम्पादन किया जा सके। इस प्रकार यह सुनिश्चित किया जावे कि प्रत्येक आई.डब्ल्यू.एम.पी. ब्लॉक में पीआईए के पास एक जलग्रहण विकास दल उपलब्ध रहे।

समस्त परियोजना प्रबन्धकों को आयुक्तालय के परिपत्र क्रमांक एफ.6 (12–6)/ निजभूस/ विधि/551–82 दिनांक 21.05.2015 एवं कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.6 (12–6)/निजभूस/विधि/ 907–939 दिनांक 15.12.2015 के द्वारा आदेशित किया गया था कि जलग्रहण विकास दल सदस्य को फण्ड की अनुपलब्धता/परियोजना की समाप्ति, एग्रीमेंट की समाप्ति, एग्रीमेंट की शर्तों को भंग करने के कारणों से हटाया जाता है तो हटाने के आदेश के साथ ही तत्काल माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर में केवियट दायर करावे, ताकि विभाग के विरूद्ध एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित न हो। अतः उपर्युक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करे।

(अनुराग भारद्वाज)
आयुक्त

क्रमांक : एफ.13(डब्ल्यूडीटी)आईडब्ल्यूएमपी / निजभूस / 2015–16 /12050-12 दिनांक: 6/10/16
22501-12606

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायतीराज, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, जयपुर।
4. जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर, समस्त।
5. अतिरिक्त निदेशक (आईडब्ल्यूएमपी / प्रशासन), निदेशालय, जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, आयुक्तालय, जयपुर।
7. समस्त संयुक्त निदेशक, आयुक्तालय, जयपुर।
8. अधीक्षण अभियन्ता एवं परियोजना प्रबन्धक, वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर, समस्त।
9. उपनिदेशक, आयुक्तालय, समस्त।
10. एसीपी, आयुक्तालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावे।

आयुक्त